

सं. 3105/106/2014-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

ए विंग, शास्त्री भवन

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 23 जून, 2014

एडवाइजरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया पर विभिन्न कार्यक्रमों, धारावाहिकों, समाचार सुविधाओं आदि में लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग के चित्रण पर चिंता जताई है। ऐसे कुछ उदाहरणों पर ध्यान आकर्षित करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि इस तरह का चित्रण सार्वजनिक हित के खिलाफ हो सकता है।

उपरोक्त मुद्दों पर ध्यान देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अनुरोध किया है

- i. उतावलेपन, लापरवाही या खतरनाक ड्राइविंग को दर्शाने वाले चित्र/दृश्य आमतौर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चित्रित नहीं किए जाने चाहिए।
- ii. किसी अप्रत्याशित स्थिति में जब ऐसी स्थिति का चित्रण किसी निश्चित संदर्भ में अपरिहार्य हो जाता है, तो इन्हें अनिवार्य रूप से उचित संदेशों के साथ जैसे "तेज गति से वाहन चलाना घातक है", "बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना खतरनाक और अवैध है", "बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाना" खतरनाक है", आदि होना चाहिए।

इसलिए, सभी टीवी चैनलों/ दूरदर्शन /प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे चित्रों/दृश्यों जो लापरवाही, उतावलेपन या खतरनाक ड्राइविंग को दर्शाते हैं, को चित्रित करने में बेहद सावधानी बरतें, और यदि ऐसा चित्रण करना आवश्यक है, तो इसे उचित संदेश/चेतावनी के साथ दर्शाया जाना चाहिए।

हस्ता./-

[नीति सरकार]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 21186476

प्रतिलिपि:

1. श्री के.वी.एल. नारायणराव, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एमई-5, साह विकास अपार्टमेंट, 68, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
2. श्री आशीष सिन्हा, महासचिव, प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी), क्लो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049
3. श्री एलन कोलाको, महासचिव, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद 219, बॉम्बे मार्केट बिल्डिंग, 78 टेंटियो रोड, मुंबई-34
4. सभी टीवी चैनल
5. भारतीय प्रेस परिषद, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
6. सभी समाचार पत्र
7. महानिदेशक: दूरदर्शन, प्रसार भारती, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।